न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 114/2016

अपीलांट

1. पनाराम पुत्र वरदारामजी,
2. कूपाराम पुत्र वरदारामजी
3. घीसूलाल पुत्र जसीयाजी
4. गलबाराम पुत्र पुखराजजी
5. शंकरलाल पुत्र पुखराजजी
6. रूपाराम पुत्र मुलारामजी
7. देशाराम पुत्र मोहनजी
8. सुखीदेवी पत्नी मोहनजी
9. रतन पुत्र वनाजी
10. रमेश पुत्र वनाजी तमाम जातिगण माली निवासी साण्डेराव तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. लक्ष्मणराम पुत्र वनाजी
2. सुरेश पुत्र वनाजी
3. कालूराम पुत्र वरदारामजी
4. बाबूलाल पुत्र जसीयाजी
5. प्रतापराम पुत्र जसीयाजी
6. प्रभुराम पुत्र जसीयाजी
7. कनीया पुत्री जसीयाजी
8. बगदीदेवी पुत्री जसीयाजी
9. लक्ष्मीबाई पत्नी जसीयाजी
10. दिनेशकुमार पुत्र रामलालजी
11. भरतकुमार पुत्र मोहनजी
12. नरसींग पुत्र हकमाजी तमाम जातिगण माली निवासीगण साण्डेराव, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री लक्ष्मण के चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री कमलेश चौहान विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 13 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

—: निर्णय :—

दिनांक : 11-04-2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 95/2013 लक्ष्मणराम वगैरा बनाम नरसींग वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर खसरा संख्या 1417 रकबा 1.9000 हैक्टर, खसरा संख्या 1427 रकबा 6.6000 हैक्टर, खसरा संख्या 1729 रकबा 6.2500 हैक्टर, खसरा संख्या 1730 रकबा 6.0400 हैक्टर, खसरा संख्या 1731 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा संख्या 1732 रकबा 0.2200 हैक्टर, खसरा संख्या 1733 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा संख्या 1734 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 1735 रकबा 0.2800 हैक्टर, खसरा संख्या 1736 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा संख्या 1737 रकबा 0.1900 हैक्टर, खसरा संख्या 1738 रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा संख्या 1739 रकबा 0.4300 हैक्टर, खसरा संख्या 1740 रकबा 1.7300 हैक्टर, खसरा संख्या 1741 रकबा 1.7000 हैक्टर, कुल खसरा 15 रकबा 13.8000 हैक्टर आराजी जो कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण की संयुक्त खातेदारी आराजी है। उक्त वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एंड बाउण्डस् सर्वे नपाई कर किस्म के अनुसार रास्ते के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को 1/20 वा हिस्से का बंटवारा किया जाकर इस आशय में डिक्री पारित करने की इस्तदुआ की। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी के बंटवाडे के आदेश प्रदान किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय में वर्णित वाद में खातेदार जसीया पुत्र हीराजी का देहान्त वाद से पूर्व हो चुका था। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा मृत व्यक्ति के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना उक्त खातेदार के वारिसान को रेकर्ड पर लिये मृत खातेदार एवं उनके वारिसान की गैर मौजूदगी मे जैर अपील आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद वास्ते तलबी व जवाब हेतु विचाराधीन था, इसी दौरान राजस्व लोक अदालत कैम्प राज्य सरकार द्वारा चलाये गये, जिसके तहत उक्त पत्रावली कैम्प कोर्ट साण्डेराव में सुनवाई हेतु रखी गई। एवं पत्रावली में वर्णित पक्षकारों के हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ निशान यह कह कर करवा दिये कि " आपका विवाद आज खत्म कर देते है और आपका राजीनामा करवा देते है।" कैम्प के दौरान हाजिर पक्षकारो के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ के निशान रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 व 12 के कहे अनुसार पटवारी हल्का द्वारा पूर्व में तैयार पेपरो पर विश्वास में लेकर करवा दिये गये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सभी खातेदारो की सहमति लिये केवल कैम्प में अपना निस्तारण बताने के उद्देश्य से आनन—फानन में जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी के बंटवाडा आदेश में खसरा संख्या 1733 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 1734 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गै.मु. सडा व खसरा संख्या 1736 रकबा 0.02 हैक्टर मकान में आने जाने हेतु कोई संयुक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रास्ता नहीं रखा गया है। जिससे अन्य खातेदारो/पक्षकारो के मध्य वाद–विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को बिना ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित आदेश अपास्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में पूर्व में प्रस्तुत जवाब दिनांक 01.08.2018 के कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि सामलाती खसरा नंबर 1730 किस्म गै.मु. रास्ता है जो खसरा नंबर 1733 किस्म गै.मु. बेरा व 1734 गै.मु. सडा तक ही जाता है। जिससे आपसी बंटवाडा अनुसार खसरा नंबर 1738, 1739, व 1741 (आपसी बंटवाडा अनुसार "बी" के हक–हिस्से में रही भूमि) व खसरा नंबर 1737, 1739/1 व 1741/1 (आपसी बंटवाडा अनुसार "सी" के हक–हिस्से में रही भूमि) तथा सामलाती भूमि खसरा नंबर 1736 किस्म गै.मु. मकान में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया है। जबकि मौके पर खसरा नंबर 1733 किस्म गै.मुत्र बेरा व 1734 किसम गै.मु. सडा से आगे खसरा नंबर 1740/1 की माठ के सहारे–सहारे खसरा नंबर 1737 से होता हुआ खसरा नंबर 1736 व 1738 तक रास्ता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आपसी बंटवाडा अनुसार "ए" यानि रेस्पोडेन्ट संख्या 12 के हक–हिस्से में खसरा नंबर 1731 के कृषि भूमि रखी गई है। परन्तु उक्त खसरा नंबर की कृषि भूमि पर मौका अनुसार ए, बी, सी व डी अपने 1/4–1/4 हक–हिस्से अनुसार पूर्व से ही अलग–अलग काबिज है और आज भी काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग कर रहे है। जिससे उक्त खसरा नंबर 1731 का विभाजन सभी पक्षकारो के बीच अपने हक–हिस्से अनुसार पुनः किया जाता है एवं साथ ही सम्पूर्ण कृषि आराजी का सभी पक्षकरों के हक–हिस्से अनुसार पुनः सही रकबा तक बंटवाडा किया जाता है तो इससे रेस्पोडेन्ट पूर्ण सहमत है। अत आपसी बंटवाडे के हक–हिस्से में रहे आपसी बंटवाडा अनुसार खसरा नंबर 1738, 1739, व 1741 (आपसी बंटवाडा अनुसार "बी" के हक–हिस्से में रही भूमि) व खसरा नंबर 1737, 1739/1 व 1741/1 (आपसी बंटवाडा अनुसार "सी" के हक–हिस्से में रही भूमि) तथा सामलाती भूमि खसरा नंबर 1736 किस्म गै.मु. मकान में आने–जाने हेतु रास्ता उक्त जवाब के साथ संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित बरंग लाल के अनुसार दिया जाता है एवं उसी अनुसार पुनः संशोधित बंटवाडा किया जाता है तो इससे रेस्पोडेन्टगण को कोई उजर एतराज आपत्ति नहीं है। अत अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करते हुए रास्ता कायम कर पुनः बंटवाडा किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर खसरा संख्या 1417 रकबा 1.9000 हैक्टर, खसरा संख्या 1427 रकबा 6.6000 हैक्टर, खसरा संख्या 1729 रकबा 6.2500 हैक्टर, खसरा संख्या 1730 रकबा 6.0400 हैक्टर, खसरा संख्या 1731 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा संख्या 1732 रकबा 0.2200 हैक्टर, खसरा संख्या 1733 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा संख्या 1734 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 1735 रकबा 0.2800 हैक्टर, खसरा संख्या 1736 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा संख्या 1737 रकबा 0.1900 हैक्टर, खसरा संख्या 1738 रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा संख्या 1739 रकबा 0.4300 हैक्टर, खसरा संख्या 1740 रकबा 1.7300 हैक्टर, खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

संख्या 1741 रकबा 1.7000 हैक्टर, कुल खसरा 15 रकबा 13.8000 हैक्टर आराजी जो कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण की संयुक्त खातेदारी आराजी है। उक्त वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एंड बाउण्डस् सर्वे नपाई कर किस्म के अनुसार रास्ते के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को 1/20 वा हिस्से का बंटवारा किया जाकर इस आशय में डिक्री पारित करने की इस्तदुआ की। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी के बंटवाडे के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय में प्रस्तुत की गई। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्टगण द्वारा जवाब दिनांक 01.08.2018 प्रस्तुत कर खसरा नंबर 1738, 1739, व 1741 (आपसी बंटवाडा अनुसार "बी" के हक–हिस्से में रही भूमि) व खसरा नंबर 1737, 1739/1 व 1741/1 (आपसी बंटवाडा अनुसार "सी" के हक–हिस्से में रही भूमि) तथा सामलाती भूमि खसरा नंबर 1736 किस्म गै.मु. मकान में आने–जाने हेतु रास्ता कायम किया जाकर पुनः संशोधित बंटवाडा करने हेतु अनापत्ति प्रस्तुत की है। जहां तक विधिक प्रक्रिया का पालना का प्रश्न है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत कृषि जोतों के विभाजन के प्रावधान उल्लेखित है। इन प्रावधानों की पालना राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के तहत की जानी आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रावधानो की पूर्ण रूप से पालना किये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। एवं रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपने जवाब दिनांक 01.08.2018 द्वारा अपीलांट की अपील के पैरा संख्या 02 में जताई गई आपत्ति के संबध में अनापत्ति प्रस्तुत की है। जिससे अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा पारित आदेश समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आशिंक स्वीकार की जाती है तथा उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 95/2013 लक्ष्मणराम वगैरा बनाम नरसींग वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 01.08.2018 के साथ संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित बरंग लाल को ध्यान में रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए उभयपक्षकारान को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली